रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 446] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 1983/आश्विन 12, 1905
No. 446] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983/ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

आदेश

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1983

का. आ. 716(अ)/सं. ई(सी)ओ, 1977/एएम(275) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

(1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 22वां संशोधन आदेश, 1983 की संज्ञा दी जाए ।

(2) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, भाग-क की अनुसूची 1 में, क्रम सं. 33(2) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए :—

"33(3) — बांस" ।

[सिविल सं. 6/8/82-ई. 1]

प्रकाश चन्द्र जैन, मुख्य नियंत्रक,
(आयात एवं निर्यात)

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

ORDER

New Delhi, the 4th October, 1983

S.O. 716(E)/No. E(C)O, 1977/AM(275).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twenty second Amendment Order, 1983.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Part 'A' Schedule-I, the following entry shall be added after Sl. No. 33(ii) :—

"33(iii) —Bamboo."

[F. No. 6/8/82-EI]

P. C. JAIN, Chief Controller
(Imports and Exports)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983